itself. In view of this, may I khow what action has been taken by the government against those who have violated this guidance of the Master Plan of Delhi ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): As we all know, the job of the Delhi Urban Arts Commission is to advise; and the DDA while approving plan of any development in a housing complex or shopping centre or any other complex takes into account all the measures affecting this aesthetic sense, the skyline and the surroundings of Delhi. Therefore, to the extent possible, the advice rendered by the Urban Arts Commission is accepted; where it is not just possible, they follow the procedure laid down under the rules under which they also go in for notifying public objections and then they come to the Central Government and get approval. After all the process has been followed, only then they make slight modification here and there, but, generally, by and large, the advice of the Urban Arts Commission is accepted.

SHRI AJIT KUMAR SAHA : May I know from the Minister whether it is a fact that, after acquiring land at Re.1 per square yard from the poor farmers, they are selling at the rate of Rs. 15, 000 per square yard thus depriving them the benefit they should get. What measures the government has taken to compensate those farmers whose land has been required at such a low rate ?

SHRI BUTA SINGH: This question does not arise out of this question. I am prepared to answer this question provided a separate notice is given. But, I am afraid, the comparison offered by the hon. member does not exist in reality; it is all imaginary —Re.1 to Rs.15,000/—. I have not seen in my experience with the Ministry such a variance. But let the hon. member table a separate question and I will answer it.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*165. **श्री मनीराम बागड़ी†**
श्री भीखा भाई } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा था कि मजूरी का पुनरीक्षण किये जाने तक अंतरिम राहत देने की मांग गत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चौथे वेतन आयोग द्वारा मजूरी ढांचे में संशोधन करने सम्बन्धी निर्णय किए जाने तक भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा अन्य सुविधायें कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उपरोक्त निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO): (a) It was state that the demand for payment of interim relief pending wage revision was under consideration for some time.

(b) and (c) A decision on the question of payment of interim relief pending wage revision, within the framework of the existing Government policy, has already been taken and communicated to the Corporation.

श्री मनीराम बागड़ी : इसको फूड कारपोरेशन कहा जाए, फ्राड कारपोरेशन कहा जाए या कुरप्शन कारपोरेशन कहा जाए—

अध्यक्ष महोदय : आपको कौन सा जंचता है ?

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे दोनों जंचते हैं फ्राड एंड कुरप्शन ।

सरदार बूटा सिंह जी ने क्या बोला ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आजकल बहुत बुरी संगत में रहते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप तो हमारी संगत छोड़ कर चले गए हैं । पुराने शिष्य हैं

आप हमारे।

श्री बूटा सिंह : तभी तो ध्यान आता है बार-बार।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा मत कहो, मेरे साथ बैठे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : ये प्रमिला जी के साथ बैठते हैं।

इनका जवाब यह मिला है कि फूड कारपोरेशन के कर्मचारियों को जो अंतरिम सहायता दी जानी है वह उनको बता दी गई है। जो बता दी गई है वह क्या है और कब तक वह उनको मिल जाएगी? क्या कोई निश्चित तिथि आप इसके बारे में बताने की कृपा करेंगे?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : निर्णय ले लिया गया है और फूड कारपोरेशन को कह दिया गया है कि इसको वह कार्यान्वित करे। अन्तरिम रिलीफ कैटेगरी 3 और 4 में जिनकी तनखाह तीन सौ से नीचे है उनको पचास रुपये और जिन की सात सौ से नीचे है उनको साठ रुपए देने की बात कही गई है। जिनकी तनख्वाह सात सौ या ऊपर है उनको सत्तर देने की बात कही गई है। यह आर्डर दे दिया गया है। हमें आशा है कि इसको फूड कारपोरेशन कार्यान्वित करेगी। जहां तक कैटेगरी 1 और 2 का प्रश्न है बहुत जल्दी, कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। कमेटी बिठाई गई थी इसके लिए। लेकिन एक बात समझ लेने की है। जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग है उनमें दो तिहाई तो इंडस्ट्रियल डी ए के अन्तर्गत आते हैं और एक तिहाई ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल डी ए नहीं लेते। एफ सी आई उन्हीं में से एक है जिन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही ये और डी ए हैं। अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डी ए के अन्तर्गत आ जाए। इसलिए क्लास एक और दो का फैसला हो जाएगा। बहुत जल्द मौज बहुत जल्द और उनको भी दे दिया जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : जल्दी का कोई मतलब नहीं है। जल्दी तो साल की भी हो सकती है। क्या आप एक निश्चित तिथि बता सकते हैं?

श्री भागवत झा आजाद : सौ साल को मैं जल्दी नहीं मानता। एक वर्ष को भी जल्दी नहीं मानता। मेरा कहना यह है कि यह निर्णय अभी कुछ दिन पूर्व एफ सी आई को दे दिया गया है और हमें विश्वास है कि एफ सी आई जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वित करेगी। जल्दी का अर्थ वही है जो जल्दी का अर्थ होता है।

श्री मनीराम बागड़ी : मंत्री महोदय बुद्धिमान आदमी है। बुद्धि के चक्र में आप सवाल को भ्रमित कर सकते हैं। आप निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं? जल्दी वाला फौरन बता सकता है कि एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते। हफ्तों की या दिनों की बात तो आप बता ही सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनों दिनों में या एक महीने या दो महीनों में दे दें?

मुझे एफ सी आई से एक शिकायत है उसने बाजरे को खरीदा ही नहीं। हिन्दुस्तान के गरीब किसान का बाजरा खरीदा ही नहीं गया उसके द्वारा। जब गरीब का बाजरा निकल गया और बड़े व्यापारियों और सरकारी व्यापारियों ने मिल कर खरीद लिया और उसका सारा बाजरा भ्रष्टाचार करके सस्ते दामों में ले गए, — चूंकि उनका गुजारा नहीं होता था इसलिए उनको बेचना पड़ा — तब कारपोरेशन ने हुकुम दिया इसको खरीद करने और अभी तक भी हरियाणा में वह उसके द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस हैसियत में हैं जो यह बता सके — (इंटरप्शंज) क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि फूड कारपोरेशन को बाजरा वक्त पर खरीदना था वह न खरीदने के कारण किसानों को घाटा लगा और अभी भी हुक्म देने के बाद जो हरियाणा में नहीं खरीदा जा

रहा है क्या किसानों को उसका मुआवजा देने की कृपा करेंगे ? और दीषी अफ़सरों ने जो बाजरा नहीं खरीदा उनके खिलाफ आप ऐक्शन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि एक तो आप कहते हो कि काम नहीं करते, और दूसरी तरफ उनकी सिफारिश भी करते हो।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह भी काम नहीं करते हैं और आप मंत्री जी की सिफारिश करते हो, तो बराबर हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप मंत्री जी खरीद का बन्दोबस्त देख लेंगे।

श्री भीखा भाई : मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है वह यह है कि इन्होंने क्लास 3 और 4 को अंतिरिम सहायता दे दी है। दरअसल में मुख्य मांग अंतरिम राहत की नहीं हैं, बल्कि उनकी मुख्य मांग यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐप्लाईज के आधार पर जो वेज रिवीजन होना चाहिये वह कब करने जा रहे हैं ?

दूसरे यह कि इन्होंने जो बताया कि यह प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर का है इसमें दो तिहाई लोग इंडस्ट्रियल इंडैक्स से गाइड होते हैं और एक तिहाई को सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पर दिय जाता है, तो उसका कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आया।...

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो भीखा भाई जी एक ही हो सकता है, इतने सारे नहीं। मंत्री जी आप बता दीजिये।

श्री भीखा भाई : रिवीजन कब तक करेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा एफ० सी० आई० कर्मचारियों की वेज और डी० ए० पैटर्न सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के आधार पर है लगभग। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐम्प्लाईज को जब जब डी० ए० इंस्टालमेंट मिला वैसा ही इस पर लागू हो जाता था। 1971 से कोई रिवीजन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐमप्लाईज का नहीं हुआ। एफ० सी० आई० ने बार-बार कुछ सालों से मांग की उनको इंडस्ट्रियल डी० ए० में लाया जाय। हमने उनको अंतरिम राहत दी है और यह कहा है कि इंडस्ट्रियल डी० ए० फौरमूला के अन्तर्गत आने के लिए जो आवश्यकतायें हैं वह पूरी हों, जैसे (1) ऐसोसिएशन और यूनियन के सदस्य मैजारिटी से इस बात को कहें, (2) जो वर्किंग आवर टोटल और वर्किंग आवर के भिन्न भिन्न टाईपिंग हैं यह मान लें। ज्यों ही इन बातों पर निर्णय हो जायगा क्लास 1 और क्लास 2 द्वारा हम इनकी वेज पर विचार कर सकते हैं।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था

167. **श्री सज्जन कुमार†** :
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और दिल्ली में इन पुनर्वास कालोनियों के नाम क्या हैं, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान पानी और सीवर की लाइनें डालने का कार्य शुरू हो जायेगा और यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने इस काम को शीघ्र करने के लिए कोई निर्देष जारी किये हैं और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details are contained in the statement which is laid on the Table of the Sabha.